रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 1977/अग्रहायण 15, 1899
No. 240] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 1977/AGRAHAYANA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th December 1977

SUBJECT—*Export of Timber*

NO 33-ETC(PN)/77—Reference Public Notice No 13-ETC(PN)/77 dated the 18th July, 1977 Exports (Control) Amendment Order No E(C)O, 1977/AM(31) dated the 6th December, 1977, on the above subject

2 It has been decided in consultation with the Ministry of Agriculture and Irrigation that the export of Timber will be regulated in the manner indicated in the following paragraphs For this purpose:—

(i) *Timber* means logs rough squared or in the round including stumps

(ii) *Stump* means the base of a tree and its roots left in the ground after felling

(iii) *Sawn timber* means beams, scantlings, and other size fashioned from timber in the round

3 The following species of wood and timber are included at S No 33 of Part 'A' of Schedule I to Exports (Control) Amendment Order, 1977 and export thereof will not be allowed:—

(i) Dipterocarpus Spp except from Andamans,

(ii) Burrs and Stumps of Maple (Acer spp.);

(iii) Balsa (ochroma lagopus);

(iv) Burrs, stumps, roots and logs containing root of any part thereof of Juglans regia;

(v) Semul (Bomban malabaricum);

(vi) Willow (Salix spp.);

(vii) Hollock (Terminalia myriocarpa);

(viii) Gamari (Gmelina spp);

(ix) Mulbery (Moras alba);

(x) Softwood in log form;

(xi) Teakwood (Tectona grandis) in log form.

Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram timber.

4. Export of Sleepers and logs shall not be allowed except to the extent and for the species for which the Railways agree. The applications will be considered 'On Merits'.

Soft Wood

5 Export of soft wood in the sawn form only will be allowed subject to the authentication of source, *i e*, on the production of certificate of origin from the Chief Conservator of Forests of the concerned State or Union Territory.

Teak Wood (Tectona grandis)

6 Export of teak wood in sawn form originating from forest areas specially identified by the Ministry of Agriculture and Irrigation, will be allowed 'On Merits' subject to the authentification of source *i e*, on the production of certificate of origin from the Chief Conservator of Forests of the concerned State or Union Territory

Hard Wood

7 The export of following species of hard wood in the form of logs as well as in sawn sizes will be allowed by the licensing authorities freely but on the presentation of shipping bills/licensing endorsement/land customs appendices:—

S. No Variety of wood with their botanical names

(i) Haldu (Adina cordifolia)

(ii) Bellapine (vateria Indica)

(iii) Maple wood (Accer spp) other than Burrs and Stumps

(iv) Birch (Betula spp.)

(v) Bola (Moras laevigata)

(vi) Lali (Amoora wallichii)

(vii) Aini (Artocarpus hirusta)

(viii) Irul (Xylia xylocarpa)

(ix) Bird Cherry (Prunus padus)

(x) Chaplash (Artocarpus Chaplash)

(xi) Makai (Shorea assamica)

(xii) Champ (Michela spp)

(xiii) White Cedar (Dusoxylum malabaricum).

8(a) Export of Rosewood (Delborgia latifolia) will be allowed in the current year within the ceiling of 10,000 (Ten thousand) cubic metres already prescribed for the period 1977-78 Preference will be given therein to the export of Rosewood in processed or semi-processed form than to its export in log or sawn form In the distribution of the said quota among the different applicants, preference will be given by the licensing authorities to those who have already registered, to the satisfaction of the concerned licensing authority their commitments prior to the issue of the Public Notice No 13-ETC(PN)/77 dated 18th July 1977, and only the remaining quantity, if any, shall be available for fresh applicants.

8(b) Export of Rosewood logs from Cochin and New Mangalore port will be allowed within the overall quota to an individual exporter to the extent shown in 'No objection Certificate issued by the competent authorised officer (not below the rank of Assistant Conservator of Forest) duly authorised by the State Governments of Kerala and Karnataka No objection certificate would not be necessary for export from Bombay, Calcutta and Madras respectively.

9. Every licensing endorsement relating to the export of hard wood including rose wood, shall be valid for a period of 15 days only; and in the case of rose wood, if the shipment does not take place within this period, the lapsed quantity will be available to the licensing authority for reallotment to other eligible exporters If the quantity of the rose wood so lapsed was due to non-shipment during the validity period, the exporters will surrender the relevant shipping bills to the licensing authority within 15 days from the date of expiry.

10. Exporters of rose wood are hereby informed that its export in log and sawn form will be reduced to 'nil' in the following phases:—

Year	Quantity (cubic mteres)
1978-79	6,000
1979-80	3,000
1980-81	Nil (no export will be allowed).

11. In the case of Red Sanders (Pterocarpus Santalinus) including chips and billets, export will be licensed freely on production of transit permit and the certificate of origin. In respect of Red Sanders Powder, export will be allowed on production of transit permit, certificate of origin and the certificate from the concerned pulverising mill.

12. In case of Walnutwood (Juglans regia) other than burrs and stumps, roots and logs containing root or any part thereof of walnut wood, export will be allowed 'On Merits'.

13 In case of dipterocarpus (Gujjan) timber of Andaman origin, export will be allowed freely Export from mainland ports will be allowed on production of certificate of origin issued by the Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands or his authorised representative

14. The policy regarding Sandal Wood will be announced separately.

15 The export of other species of timber not mentioned in this Public Notice will be allowed freely without any licensing formalities

K. V SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1977

विषय—इमारती लकड़ी का निर्यात ।

सं० 33-ई० टी० सी० (पीएन)/77—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सख्या 13-ई टी सी (पीएन)/77 दिनांक, 18 जुलाई 1977, निर्यात (नियत्रण) सशोधन आदेश सख्या ई(सी) ओ, 1977/एएम (31) दिनांक 6-12-77 के सदर्भ मे ।

2. कृषि और सिचाई मत्रालय के साथ परामर्श करने पर यह निश्चय किया गया है कि इमारती लकडी का निर्यात नीचे की कण्डिकाओं मे संकेतित अनुसार नियन्त्रित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए :—

(1) इमारती लकडी का अर्थ है ठूंठ सहित कुन्दे, अपरिष्कृत वर्गाकार या गोल किए हुए ।

(2) ठूठ (स्टम्प) का अर्थ है पेड़ का आधार और गिरने के पश्चात् भूमि पर बची हुई जड़ें ।

(3) चिरी हुई इमारती लकड़ी का अर्थ है शहतीर, कड़ियां और गोल इमारती लकड़ी से कटे हुए अन्य साइज ।

3. [illegible] इमारती लकड़ी की निम्नलिखित किस्में निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश 1977 की अनुसूची-1 के भाग 'क' की क्रम संख्या 33 में शामिल कर दी गई है और उनके निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी :—

(1) [illegible]

(2) मेपिल के दाने और ठूंठ

(3) बानसा (आचरोमा लेगोपस)

(4) [illegible] के तने, ठूंठ, जड़ें और जड़ों या उनके किसी भाग सहित कुन्दे

(5) रेपल (बम्बई या मालाबार का)

(6) बेन [illegible]

(7) होलाक (टर्मिनलिया मिरियोकार्पा)

(8) गमारी (गमेलिना एरबोरी)

(9) सलवेरी (मोरस आल्बा)

(10) कुन्दे के रूप में नर्म लकड़ी

(11) कुन्दे के रूप में सागवान की लकड़ी (टेक्टोना ग्रेण्डिस)

असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इमारती लकड़ी

4. [illegible] सीमा तक और [illegible] किस्मों के लिए रेलवे सहमत है उन्हें छोड़ कर स्लीपर और कुन्दों के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

नरम लकड़ी

5. चिरी हुई रूप में नरम लकड़ी के निर्यात की स्वीकृति सम्बद्ध राज्य या संघशासित [illegible] द्वारा स्रोत के प्रमाणीकरण के अधीन दी जायगी ।

सागौन लकड़ी (टेक्टोना ग्रेण्डिस)

6. [illegible] कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा अभिज्ञान किए हुए जंगलों से पैदा हुई चिरी हुई [illegible] लकड़ी के निर्यात की स्वीकृति गुण-दोष के आधार पर सम्बद्ध राज्य या [illegible] सरकार द्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर अर्थात् स्रोत के प्रमाणीकरण के अधीन दी जाएगी ।

नरम लकड़ी

7. [illegible] नरम लकड़ी की निम्नलिखित किस्मों के निर्यात की स्वीकृति [illegible] लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी किन्तु यह लदान बिल/लाइसेंस पृष्ठांकन/स्थल

शुल्क दस्तावेज के प्रस्तुत करने के अधीन होंगे ।

क्रम सं०	लकड़ी की किस्में उनके वानस्पतिक नाम सहित
1	हल्दू (एडिना कार्डिफोलिया)
2	व्हेलापाइन (वैटीरिया इण्डिका)
3	मैपिल वुड (एक्सर एस पी पी), दाना और ठूठो से भिन्न
4	बर्च (बेटुला एस पी पी)
5	बोला (मोरस लैविगेटा)
6	लाली (एमूरा वालिची)
7	आइनी (आर्टोकार्पस हिरुस्टा)
8	इरुल (जोलिया जिलोकार्पा)
9	बर्ड चेरि (परुनस पैडस)
10.	कपलश (आर्टोकार्पस चपलाश)
11	मकाई (शोरिया असामिका)
12	चम्प (मिशेला एस पी पी)
13	सफेद सिडार (डसोक्सिलम मालाबेरिकम)

8 (क) चालू वर्ष मे शीशम (डलबर्जिया लेटिफोलिया) के निर्यात की अनुमति 1977-78 अवधि के लिए पहले ही निर्धारित की गई 10,000 (दस हजार) घन मीटर की उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी । इसमे कुन्दा या चिरी हुई लकड़ी के रूप मे शीशम की लकड़ी के मुकाबले मे संसाधित या अर्धसंसाधित रूप मे निर्यात को अधिक अधिमानता दी जाएगी । विभिन्न आवेदको मे उक्त कोटे के वितरण मे लाइसेंस प्राधिकारियो द्वारा उन आवेदको को अधिमानता दी जाएगी जिन्होने सार्वजनिक सूचना सं० 13-ईटीसी (पीएन)/77 दिनांक 18-7-77 के जारी होने से पहले अपना सौदा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी की सतुष्टि के अनुसार पहले ही पंजीकृत करा दिया है और केवल शेष मात्रा यदि कोई बाकी रहेगी तो वह नए आवेदको के लिए उपलब्ध होगी ।

8 (ख). कोचीन और न्यू मंगलौर पत्तन से शीशम के कुन्दो के निर्यात की अनुमति केरल और कर्नाटक की सरकारो द्वारा विधिवत् प्राधिकृत समर्थ प्राधिकृत अधिकारी (जो सहायक अरण्यपाल के पद से कम न हो) द्वारा जारी किए गए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मे प्रदर्शित सीमा तक अलग-अलग निर्यातक को समस्त कोटे के भीतर दी जाएगी । क्रमश बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास से निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को आवश्यकता नही होगी ।

9 शीशम की लकड़ी सहित कठोर लकड़ी के निर्यात से सम्बन्धित प्रत्येक लाइसेंस पृष्ठांकन केवल 15 दिनो की अवधि के लिए वैध होगा, और शीशम की लकड़ी के मामले मे यदि पोत लदान इस अवधि के भीतर नही होता है तो व्यपगत मात्रा अन्य पात्र निर्यातकों को पुन आबंटन के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध होगी । यदि शीशम की मात्रा इस प्रकार व्यपगत हुई वैधता अवधि के दौरान पोत लदान न होने के कारण थी तो निर्यातक सम्बन्धित पोत लदान बिल को इसकी समाप्ति की तिथि से 15 दिनो के भीतर लाइसेंस प्राधिकारी को समर्पित कर देंगे ।

10 शीशम के निर्यातको को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि लट्ठे एवं चिरी हुई लकड़ी के रूप मे इसका निर्यात घट कर निम्नलिखित चरणो मे शून्य हो जाएगा :—

वर्ष	मात्रा (घनमीटरों में)
1978-79	6,000
1979-80	3,000
1980-81	शून्य (निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी)

11. रेड सैंडर्ज (टेरोकार्पस शान्तालिनस) के मामले मे जिसमे चिप्स और बिल्लट्स भी शामिल हैं, निर्यात की अनुमति पारगमन परमिट और उद्गम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर स्वतन्त्र रूप से दी जाएगी। रेड सैंडर्ज चूर्ण के सम्बन्ध में निर्यात की अनुमति पारगमन परमिट, उद्गम प्रमाण-पत्र और सम्बन्धित चूर्ण करने वाले मिल से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

12. ठूंठ और टुकड़े एवं लट्ठे जिनमे अखरोट की लकड़ी की जड़ या उसका भाग शामिल हो उससे भिन्न अखरोट की लकड़ी (जगलान्स रेजिया) के मामले मे निर्यात की अनुमति पात्रता के आधार पर दी जाएगी।

13. अन्दमन मूल की डिपट्रोकार्पस (गुर्जन) इमारती लकडी के मामले मे निर्यात की अनुमति स्वतन्त्र रूप से दी जाएगी। स्थलीय पत्तनों से निर्यात की अनुमति अन्दमन और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य बनपाल या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियो द्वारा जारी किए गए उदगम के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

14. संदल की लकडी के सम्बन्ध में निर्यात नीति अलग से घोषित की जाएगी।

15. इमारती लकडी की उन अन्य किस्मों का निर्यात, जिनका विवरण इस सार्वजनिक सूचना मे नही दिया गया है किसी भी लाइसेंस औपचारिकता के बिना स्वतन्त्र रूप से किया जाएगा।

का० वें० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977